अध्याय-5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय 5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) में वे सरकारी कंपनियां शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं। राज्य सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियां भी है जिनको राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में बाँटा गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में वैसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार/ सरकार के पास, या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है तथा इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, कोई अन्य कंपनी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के रूप में परिभाषित है।

राज्य में 31 मार्च 2022 तक एसपीएसई की कुल संख्या 31 है। पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20 से 2021-22 के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 शासनादेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियम के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से खातों की लेखापरीक्षा की जानी है उस पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाए।

5.3 इस अध्याय में क्या है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन की एक समग्र तस्वीर देता है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

5.4 एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2022 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले एसपीएसई को **तालिका 5.1** में दी गई है ।

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एसपीएसई की प्रकृति

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके खाते रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये एसपीएसई की संख्या
		2021-22 तक खाते	2020-21 तक खाते	2019-20 तक खाते	कुल	
क्रियाशील सरकारी कंपनियाँ[1]	27	1	5	6	12	15
क्रियाशील सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	1	0	1	0	1	0
कुल क्रियाशील एसपीएसई	**28**	**1**	**6**	**6**	**13**	**15**
अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ	3	1	2	0	3	0
कुल अक्रियाशील एसपीएसई	**3**	**1**	**2**	**0**	**3**	**0**
कुल	**31**	**2**	**8**	**6**	**16**	**15**

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

2021-22 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। इस अध्याय में 15 एसपीएसई समाविष्ट नहीं हैं जिनके खाते तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं। इन एसपीएसई को **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

16 एसपीएसई में से दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को (30 सितम्बर 2022 तक) अंतिम रूप दिया। एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/ सारांश 2021-22 के लिए **तालिका 5.2** में दिया गया है।

---

[1] सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में निर्दिष्ट सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

तालिका 5.2: 16 एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

विवरण	ब्यौरा
एसपीएसई की कुल संख्या	31
इस अध्याय में शामिल एसपीएसई	16
चुकता पूंजी (एसपीएसई)	₹ 4,433.97 करोड़
दीर्घावधि ऋण (एसपीएसई)	₹ 19,095.16 करोड़
शुद्ध लाभ (10 एसपीएसई)	₹ 23.35 करोड़
शुद्ध हानि (5 एसपीएसई)	- ₹ 2,707.78 करोड़
शून्य लाभ/हानि (1 एसपीएसई)	0
घोषित लाभांश (एसपीएसई)	शून्य
कुल संपत्ति (एसपीएसई)	₹ 45,633.99 करोड़
कारोबार (एसपीएसई)	₹ 5,045.76 करोड़
निवल मूल्य (एसपीएसई)	- ₹ 6,366.87 करोड़

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

इस अध्याय में समाहित 16 एसपीएसई के कारोबार का सकल राज्य घरेलु उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई के व्यावसायिक गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। विवरण **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: राज्य एसपीएसई के कारोबार के सापेक्ष झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
कारोबार	5,553.53	5,042.14	5,045.76
पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में प्रतिशत बदलाव	26.16	-9.21	0.07
झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद	3,21,157	3,17,079	3,63,085
कारोबार से झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद की प्रतिशतता	1.73	1.59	1.39

स्रोत: *झारखण्ड राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार कार्यात्मक एसपीएसई और जीएसडीपी के आंकड़ों के कारोबार के आधार पर संकलित*

16 एसपीएसई का टर्नओवर 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया। जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में -9.21 प्रतिशत और 26.16 प्रतिशत के बीच रही।

5.5 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश

31 मार्च 2022 के अंत में 30 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि **तालिका 5.4** में दी गई है।

तालिका 5.4: सरकारी कंपनियों और अन्य में इक्विटी में निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि के ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि के ऋण	कुल
राज्य सरकार	5,223.92	17,053.97	22,277.89	5,320.82	17,615.84	22,936.66
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	17.46	1,755.03	1,772.49	22.34	1,855.74	1,878.08
कुल निवेश	**5,241.38**	**18,809.00**	**24,050.38**	**5,343.16**	**19,471.58**	**24,814.74**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.67	90.67	92.63	99.58	90.47	92.43

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में राज्य सरकारों एवं अन्य द्वारा वर्ष 2021-22 तक, ₹ 19.80 करोड़ के पूँजी निवेश को उपरोक्त तालिका में शामिल किया गया है।

5.6 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग

2021-22 के दौरान, 31 एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹ 101.78 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में इक्विटी में निवेश 2019-20 में ₹ 4,610.86 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,343.16 करोड़ हो गया, जिसमें से जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल क्रमशः ₹ 3,195.83 करोड़ और ₹ 1,598.96 करोड़ लेखाबद्ध किया गया।

5.7 राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण

31 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई के पास 31 मार्च 2022 को कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था। 10 एसपीएसई के पास ₹ 19,471.58 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बकाया थे जैसा कि **तालिका 5.5** में वर्णित है।

तालिका 5.8: 10 एसपीएसई में बकाया दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य सरकार	13,569.42	17,053.93	17,615.84
केंद्र सरकार	1,192.76	1,233.36	1,334.07
अन्य	488.29	487.56	521.67
कुल दीर्घकालिक ऋण	**15,250.47**	**18,774.85**	**19,471.58**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

5.8 राज्य डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद के बकाया का राज्य के वित्त पर प्रभाव

भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) (25.11.2016) के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य डिस्कॉम के भुगतान दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की थी,

बिजली की आपूर्ति के लिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते से उत्पन्न होने वाली चूक की स्थिति में। बिलिंग की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद देय राशि के लिए भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम की ओर से किसी सीपीएसयू को भुगतान की गई राशि के मामले में, इस तरह की बकाया राशि राज्य सरकार से भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य दर पर ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

झारखण्ड में, राज्य के स्वामित्व वाली केवल एक डिस्कॉम है, अर्थात झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)। बिजली की खरीद और पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य पीएसयू और केंद्रीय पीएसयू से जेबीवीएनएल की बिजली खरीद का बकाया **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: बिजली खरीद (पीपी) के कारण जेबीवीएनएल की देनदारियां

	(₹ करोड़ में)				पीपी के संदर्भ में देनदारियों का वर्ष-वार सीबी (प्रतिशत में)
वर्ष	**विवरण**	**राज्य के पीएसयू**	**केंद्र के पीएसयू**	**कुल**	
2017-18	प्रारंभिक शेष	2,712.62	2,441.73	5,154.35	94.20
	बिजली क्रय	877.03	5,060.39	5,937.42	
	भुगतान एवं समायोजन	875.98	4,622.87	5,498.85	
	अंत शेष	2,713.68	2,879.25	5,592.93	
2018-19	प्रारंभिक शेष	2,713.68	2,879.25	5,592.93	111.21
	बिजली क्रय	823.74	4,791.36	5,615.09	
	भुगतान एवं समायोजन	569.76	4,393.60	4,963.36	
	अंत शेष	2,967.65	3,277.01	6,244.66	
2019-20	प्रारंभिक शेष	2,967.65	3,277.01	6,244.66	128.06
	बिजली क्रय	216.68	5,989.32	6,205.99	
	भुगतान एवं समायोजन	-696.90	5,200.44	4,503.54	
	अंत शेष	3,881.23	4,065.89	7,947.12	
2020-21	प्रारंभिक शेष	3,881.23	4,065.89	7,947.12	132.57
	बिजली क्रय	917.49	5,037.24	5,954.74	
	भुगतान एवं समायोजन	532.60	5,474.80	6,007.40	
	अंत शेष	4,266.13	3,628.33	7,894.45	
2021-22	प्रारंभिक शेष	4,266.13	3,628.33	7,894.45	144.03
	बिजली क्रय	741.07	5,689.76	6,430.83	
	भुगतान एवं समायोजन	654.09	4,408.60	5,062.69	
	अंत शेष	4,353.11	4,909.49	9,262.59	

जैसा कि **तालिका 5.6** में दिखाया गया है, केंद्र और राज्य पीएसयू दोनों से जेबीवीएनएल के बिजली खरीद बकाया का अंतिम शेष 2017-18 में ₹ 5,592.93 करोड़ (94.20 प्रतिशत) से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,262.59 करोड़ (144.03 प्रतिशत)

हो गया। केंद्रीय पीएसयू को देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। चूंकि, झारखण्ड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार ₹ 2,845.50 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ झारखण्ड सरकार के खाते से भारत सरकार ने निम्नलिखित तारीखों पर डेबिट किए गए थे:

तालिका 5.7: आरबीआई में राज्य सरकार के खाते से राशि की कटौती का विवरण

(₹ करोड़ में)

तिथि	डेबिट राशि
27.10.2020	1,417.50
22.01.2021	714.00
26.08.2021	714.00
कुल	**2,845.50**

वर्ष 2021-22 में, कोविड-19 को देखते हुए, कम संग्रह के कारण राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को देय राशि में तेजी से वृद्धि हुई। डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच खातों के मिलान के दौरान यह देखा गया कि बिजली खरीद के खिलाफ डीवीसी की पुस्तकों में दिखाया गया बकाया जेबीवीएनएल खाते में दिखाए गए बकाया से अधिक था। अंतर को स्वीकार कर लिया गया और जेबीवीएनएल के खातों में ले लिया गया जिससे जेबीवीएनएल की देनदारी बढ़ गई।

भारत सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, बिजली खरीद की बड़ी बकाया राशि का राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

5.9 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्ति के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कंपनी सॉल्वेंट रह सकती है या नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को बकाया ऋण वाले 10 एसपीएसई में कुल संपत्ति के मूल्य के आधार पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: एसपीएसई जिनका 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण था

(₹ करोड़ में)

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत
सरकारी कंपनी	6	19,376.77	44,942.86	231.94	4	94.81	25.66	27.06

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

10 एसपीएसई में से, चार एसपीएसई[2] के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

5.10 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 16 एसपीएसई में से जिनके नवीनतम खातों को अंतिम रूप दिया गया था, राज्य सरकार ने छह एसपीएसई (₹ 1,357.84 करोड़, ₹ 4,645.55 करोड़ और ₹ 2,146.43 करोड़ क्रमशः 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में) को सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह गैर-बिजली क्षेत्र एसपीएसई ने 2019-20 में ₹ 23.66 करोड़ का लाभ दर्ज किया, नौ ने 2020-21 में ₹ 20.72 करोड़ का लाभ दर्ज किया और दस एसपीएसई ने 2021-22 के दौरान ₹ 23.35 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

2021-22 में लाभ कमाने वाले इन दस एसपीएसई में से, झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया।

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2022 तक) कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गई थी और 2021-22 के दौरान इन एसपीएसई द्वारा कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

5.11 ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन

ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के ब्याज व्यय से ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। विगत तीन वर्षों में, एक से नीचे आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस संबंध में तीन कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र एसपीएसई की स्थिति **तालिका 5.9** में दर्शाई गई है।

---

[2] झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड, पतरातू एनर्जी लिमिटेड और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड।

तालिका 5.9: तीन क्रियाशील बिजली क्षेत्र कंपनियों का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और करों के सापेक्ष कंपनी की कमाई (ईबीआईटी)	एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2019-20	995.08	-1,131.54	3	3
2020-21	1,254.86	-2,702.94	3	3
2021-22	1,254.86	-2,705.21	3	3

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते

जैसा कि **तालिका 5.9** में दिखाया गया है, तीन कार्यात्मक बिजली क्षेत्र के एसपीएसई[3] का आईसीआर एक से कम था, जो उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त कमाई का संकेत था, और दिवालिया होने का उच्च जोखिम था।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

30 जून 2022 तक, तीन बिजली क्षेत्र के एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर ₹ 3,676.63 करोड़ का ब्याज बकाया था। बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.10: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	ऋणों पर बकाया ब्याज		
			एक वर्ष से कम	एक से तीन वर्ष	तीन वर्ष से अधिक
विद्युत					
1	जेबीवीएनएल	2,930.49	755.57	1,251.36	923.56
2	जेयूएसएनएल	2,505.86	492.79	985.58	1,027.49
3	जेयूयूएनएल	39.00	6.50	13.00	19.50
कुल		**5,475.35**	**1,254.86**	**2,249.94**	**1,970.55**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

तालिका 5.10 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,970.55 करोड़ की राशि का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। सभी कंपनियां बकाया ऋणों के ब्याज के साथ-साथ मूलधन को चुकाने में विफल रहीं।

5.12 एसपीएसई को हुआ घाटा

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान आठ[4] एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां थीं, जिन्हें घाटा हुआ था, जैसा कि **तालिका 5.11** में दिखाया गया है।

[3] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेयूयूएनएल

[4] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल, जेसीएल, पीईएल, केईएल, जेपीएचसीएल एवं झारक्राफ्ट

तालिका 5.11: 2019-20 से 2021-22 के दौरान घाटा उठाने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां की संख्या जिसमे घाटा हुआ	वर्ष के लिए शुद्ध घाटा	निवल मूल्य[5]
2019-20	8	-1,651.19	-4,555.38
2020-21	7	-2,717.53	-6,730.62
2021-22	5	-2,707.78	-6,722.38

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

2021-22 के दौरान, बिजली क्षेत्र की पांच कंपनियों को ₹ 2,707.78 करोड़ का घाटा हुआ।

5.13 राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खातों की देरी से तैयारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कंपनी के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर, यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफल होने पर कंपनी के अधिकारी अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

तालिका 5.12 पीएसयू द्वारा अपने खातों को अंतिम रूप देने (30 सितंबर, 2022 तक) में की गई प्रगति का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 5.12: कार्यरत और निष्क्रिय पीएसयू के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं	विवरण	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1	पीएसयू की संख्या	28	3	31
2	बकाया खातों वाले पीएसयू की संख्या	27	2	29
3	बकाया खातों की संख्या	101	2	103
4(अ)	छह साल से अधिक के बकाया वाले पीएसयू की संख्या	2	0	2
4(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	24	0	24
5(अ)	तीन से पांच वर्षों के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	13	0	13
5(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	59	0	59
6(अ)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	2	14
6(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	18	2	20
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 12	1	1 से 12

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आंकड़ा

[5] 'निवल मूल्य' का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। 'फ्री रिजर्व' का मतलब है कि मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व लेकिन संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए रिजर्व और मूल्यह्रास प्रावधान के राइट बैक में शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त स्थिति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ चूककर्ता कंपनियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों और विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को दर्शाती है।

यह देखा गया कि 11[6] कंपनियां अपने खाते जमा करने में लगातार चूककर्ता थीं और उनके बकाया खाते चार से 12 वार्षिक खातों (30 सितंबर, 2022 तक) के बीच थे।

5.14 एसपीएसई के निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल मूल्य है जिसमें तुलन पत्र के अनुसार लाभ, प्रतिभूतियों और लाभ एवं हानि खातों के डेबिट या क्रेडिट शेष से बनाए गए सभी रिजर्व, संचित नुकसान, आस्थगित व्यय और बट्टे खाते में नहीं डाले गए विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित रक्षित निधि और मूल्यह्रास का राइट बैक शामिल नहीं है। विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है:

तालिका 5.13: 31 मार्च 2022 को एसपीएसई के निवल मूल्य में कमी

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अंतिम खाते	कुल प्रदत्त पूंजी	कर एवं अधिमानी लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	कारोबार	संचित घाटा	निवल मूल्य	परिसंपत्ति (डब्लूडीवी)	31 मार्च 2022 को राज्य की इक्विटी	31 मार्च 2022 को राज्य के ऋण
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	3,108.93	-2,200.05	5,289.52	-9,499.81	-6,390.88	31,785.11	3,108.93	11,910.63
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2019-20	972.96	-502.94	230.00	-1,289.52	-316.56	6,020.03	972.96	4,905.13
झारबिहार कोलियरी लिमिटेड	2020-21	1.00	-0.02	0.00	-3.99	-2.99	1.04	1.00	0
पतरातू एनर्जी लिमिटेड अकार्यशील	2020-21	0.05	0.02	0.00	-16.44	-16.39	26.05	0.05	19.85
करणपुरा एनर्जी लिमिटेड अकार्यशील	2020-21	0.05	-2.50	0.01	-26.27	-26.22	23.33	0.05	15.12
झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	10.00	0.09	5.62	-46.94	-36.94	200.92	10.00	0
कुल		**4,092.99**	**-2,705.40**	**5,525.15**	**-10,882.97**	**-6,789.98**	**38,056.48**	**4,092.99**	**16,850.73**

16 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह कंपनियों का संचित घाटा उनकी ₹ 4,092.99 करोड़ की चुकता पूंजी के मुकाबले ₹ 10,882.97 करोड़ था। इसलिए, 31 मार्च 2022 तक उन कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका संचयी शुद्ध मूल्य (-) ₹ 6,789.98 करोड़ था।

---

[6] झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी), झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य पेय निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल), झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)

5.15 निष्कर्ष

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से 16 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितंबर 2022 तक, दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया था।

इन एसपीएसई का कारोबार 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया।

राज्य डिस्कॉम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली की खरीद के विरुद्ध देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, चूंकि झारखण्ड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अतः, भारत सरकार द्वारा आरबीआई में झारखण्ड सरकार के खाते से ₹ 2,845.50 करोड़ डेबिट किए गए थे।

राँची — **(अनूप फ्रान्सिस डुंगडुंग)**
दिनांक: 03 अप्रैल 2023 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 10 अप्रैल 2023 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**